न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 46/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00316

1. भादरराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसल नोहर जिला हनुमानगढ–(मृतक) जरिये वारिसान

1/1 इमरती पत्नी स्व0 भादरराम
1/2 चावली पुत्री स्व0 भादरराम
1/3 शान्ति पुत्री स्व0 भादरराम
1/4 रामलाल पुत्र स्व0 भादरराम
1/5 मोहनी पुत्री स्व0 भादरराम
1/6 दौलतराम पुत्र स्व0 भादरराम
1/7 बेगराज पुत्र स्व0 भादरराम
1/8 सिलोचनी देवी पुत्री स्व0 भादरराम
1/9 जुगलाल पुत्र स्व0 भादरराम

} जाति जाट निवासीगण भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. सुलतान पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरलाल पुत्र मनसुखराम } जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर
3. दुलाराम पुत्र मनसुखराम } जिला हनुमानगढ।
4. श्योनारायण पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भवलदेसर तहसील नोहर
5. रामलाल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. रूकमा देवी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. परमेश्वरी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

8/1 प्रकाश पुत्र स्व0 ज्यानादेवी पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी राजुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

8/2 सलवती
8/3 गिरदावरी
8/4 सरस्वती
8/5 तुलछी
} पुत्रियां ज्यानादेवी पुत्री गणपतराम पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9– लक्ष्मी पुत्री गणपत जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10– शांति पुत्री गणपतराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11– भगवती पुत्री मनसुखराम पत्नी मुखराम जाति जाट निवासी साबनिया तहसील लूणकरण सर तहसील नेाहर।

12– स्टेट ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई बैंक शाखा गोरखाना तहसील नोहर।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 15.01.2018
प्रकरण संख्या 09/2014, अनवान भादरराम बनाम सुलतान आदि

उपस्थितिः–
श्री विजय सिंह कड़वासरा अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2

राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय दिनांक 25.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक वाद सं0 316/2012 अनवान सुलतान बनाम भादरराम आदि पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया। वादपत्र में अपीलाण्ट के नाम दर्ज आराजी को गैर कानूनी ढंग से दर्ज होने का कथन करते हुए 10 साल से अधिक कब्जा काश्त हाने का कथन करते हुए रोही मौजा भावलदेसर की खाता सं0 189 में साबिका ख. नं. 136/ 6 बीघा 11 बस्वा भूमि में वाद में वर्णितानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष मांगा। इस वाद पत्र में अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध दिनांक 30.10.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.12.2012 को वाद वादी डिक्री किया। इसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.01.2018 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र भी खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत का निर्णय खिलाफ कानून नियम, वाक्यात व रूएदाद मिसल हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत देतावेजात पर कोई गौर ना करते हुए बिना आधार व कानून के खिलाफ जाते हुए कतर्द मनमान स्वेच्छाचारी, नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। मातहत अदालत ने तामील सम्बन्धी आदेश 5 के किसी किसी भी नियम की पालना ना होते हुए प्रार्ज्ञी अपीलाण्ट की दरख्वास्त आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज कर दिया है। आदेश 5 के नियम के मुताबिक कभी भी असालतन तामील नही हुई तथा नाही अदालत का भी जरिये चस्पान्दगी तामील करवाने का कोई आदेश हुआ ना ही कभी तहसील का सवार कुनिन्दा मौजा भावलदेसर में तामील करवाने के लिए गया तथा ना ही नोटिस व सम्मन कभी शायल प्रतिवादी नं 1 के मकान पर चस्पा किये गये। रजिस्टर्ड डाक द्वारा भी कोई तामील नहीं हुई है। ऐस में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2012 पेज 756, आरआरडी 2001 पेज 494 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को विधि सम्मत तामील करवाई गई थी। अपीलाण्ट के सम्मन चस्पान्दगी से तामील करवाये

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गये थे। तामील के उपरान्त भी अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही आया। जिस पर विचारण न्यायालय ने विधि सम्मत तरीके से वाद वादी डिक्री किया है। अपीलाण्ट ने एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाने के लिए जो प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया है वह मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अपीलाट को सम्मन जरिये गवाहान की मौजूदगी में चस्पान्दगी से तामील होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई शेष रेस्पोडेण्ट को तर्क किया गया है। तामील कुन्दिदा ने अपीलाण्ट के मकान पर दो गवाहान अमीलाल व बलराम की उपस्थित में चस्पांदगी की गई है। अपीलाण्ट उसी दिन गांव में अमीलाल व बलराम से मिला तो मौखिक तौर पर नोटिस चस्पांदगी करने का बताया गया था तब अपीलाण्ट ने व्यक्त किया था कि मेरा उक्त भूमि पर कब्जा ही नही है मेरा उक्त वाद से कोई लेना देना नहीं है। अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही सही तौर से की गई है एवं अपीलाण्ट वादी की हमेशा से कहता रहा है कि आप रेकार्ड संशोधन करवा लेवें। अपीलाण्ट का दावा दायरी से ही इल्म था। पटवारी हल्का व तहसीलदार के द्वारा उक्त निर्णय का बताना गलत अंकन किया है अपीलाण्ट ने ना ही कोई साक्ष्य पेश किया तथा 2 वर्ष बाद भारी विलम्ब से प्रार्थना–पत्र पेश किया है विलम्ब का कोई ठोस आधार नही बताया है । पटवारी हल्का ने दिनांक 25.02.2014 को निर्णय के बारे में बताया इसके एक माह के भारी विलम्ब के बाद 03.03.2014 को प्रार्थना–पत्र पेश किया था। आदेश 5 नियम 17 सीपीसी में यह प्रावधान है कि प्रतिवादी तामील की प्रति गृहण करने ना पाये तो तामिल कुन्दि प्रतिवादी के निवास स्थान पर चस्पांदगी कर सकता है प्रश्नगत प्रकरण में भी प्रतिवादी सं0 1 स्वयं हाजिर नहीं पाये जाने पर दो गवाहान की उपस्थिति में सम्मन आबाद मकान पर चस्पांदगी की गई है। तामील कुन्दि को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि प्रतिवादी स्वयं उपस्थित नही मिले तो उसके मकान पर चस्पा कर सकता है। प्रश्गनत प्रकरण में भी तामील कुनिन्दा ने ऐसा किया है जो विधि सम्मत है। आदेश 20 नियम 2 सीपीसी के अनुसार उक्त तामील स्वयं प्रतिवादी सं0 1 ही मानी जावेगी तथा इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 1 के घर पर सम्मन चस्पांदगी की दिनांक से सुनवाई की तारीख की सूचना थी और प्रतिवादी को उपसंजात होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

पर्याप्त समय था इसलिए एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर खारिज नही किया जा सकता हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 8 मृतक के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश किया है उसके वारिसान को पक्षकार नही बनाया है तथा दो वर्ष की देरीना से पेश करने के कारण खारिज योग्य था। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2014 आरबीजे पेज 732, 1999 आरबीजे पेज 161, 2016 सीसीसी पेज 785 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक वाद सं0 316/2012 अनवान सुलतान बनाम भादरराम आदि पेश किया। इस वाद पत्र में अपीलाण्ट/प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध दिनांक 30.10.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 24.12.2012 को वाद वादी डिक्री किया। इसके विरूद्ध अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश, जिसे भी विचारण न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा दिनांक 15.01.2018 को खारिज किया है। वाद में अपीलाण्ट जो कि प्रतिवादी संख्या 1 था उसके सम्मन चस्पान्दगी से तामील करवाये गये हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में चस्पांदगी से तामील करवाने के किसी प्रकार के आदेश नहीं दिये थे। इस न्यायालय का मत है कि तामील कुनिन्दा को चस्पान्दगी से तामील करवाने का स्वतः ही कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय के सक्षम आदेश द्वारा ही नोटिस चस्पान्दगी द्वारा तामील करवाये जा सकते हैं। आदेश 5 नियम 20 प्रतिस्थापित तामील के संबंध में "जहां न्यायलाय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाए, सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नही का जा सकती वहां न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान में लगाकर और (यदि ऐसा कोई गृह हो) तो उस गृह के जिसमें प्रतिवादी का अन्तिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज दृश्य भाग पर भी लगाकर ऐसी अन्य रीति से जो न्यायालय ठीक समझे की जाए''

7. प्रकरण में कथित तामील प्रतिस्थापित तामील की श्रेणी में आती है जिसके लिए इस आदेश 5 नियम 20 के अनुसार चस्पान्दगी से तामील हेतु न्यायालय के आदेश अपेक्षित है जो कि हस्तगत प्रकरण में नही लिये गये हैं अपितृ तामील कुनिन्दा ने अपने स्तर से चस्पान्दगी कर दी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किये जाने योग्य है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.01.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपील सं0 316/2012 अनवानल सुलतान बनाम भादरराम में पारित एकतरफा आदेश दिनांक 10.12.2012 व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.12.2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी संख्या 316/2012 अनवान भादरराम बनाम सुलतान आदि में उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.1.23 ..... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/23

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)